

2-5-18 पत्रावली उन्मूल सेवा केंद्र न्याय
आपके द्वारा कैम्प ऑफर वालों की
ढांणी में पेश हुई वकील वादी
उपरिधत वकील वादी ने उन्मूल
पत्रावली को आगे नहीं चलाने
का निवेदन कर पत्रावली को
Not Press किया। अतः पत्रावली को
Not Press में वाद स्वीकृत किया
जाता है। आदेश - राजस्व न्यायालय
कैम्प कोर्ट ऑफर वालों की ढांणी
में सुनाया गया। पत्रावली नंबर
शुमार डीकर दर्ज नम्बर से सम
हो वाद तकमील दफ्तर दारखत

alot fees
dues

2/5/18
उपखण्ड अधिकारी
अंगरालेक